दिनांक 29.08.2013 को उप विकास आयुक्त, पटना की अध्यक्षता में जिला स्तरीय मानव व्यापार विरोधी अभियोजन अनुश्रवण समिति की आहूत बैठक की कार्यवाही

समय 04:30 अपराह्न

स्थान– समाहरणालय सभाकक्ष, पटना।

उपस्थिति

यथा संधारित पंजी के अनुसार।

कार्यवाही :–

सर्वप्रथम उपविकास आयुक्त, पटना द्वारा जिला स्तरीय मानव व्यापार विरोधी अभियोजन अनुश्रवण समिति की बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों का स्वागत करते हुये विषयवस्तु से उन्हें अवगत कराया गया।

1. रेड एण्ड रेस्क्यू में पकड़े गये पीड़िता को डबलू0डी0सी0 (महिला विकास निगम) के द्वारा संचालित अल्पावास गृह में रखा जाय। महिला हेल्पलाईन के कॉउन्सिलिंग के बाद पीड़िता को न्यायिक प्रक्रिया के तहत अभिभावक को सुपुर्द किया जायेगा। सीधे अभिभावक को सुपुर्द नहीं किया जायेगा। सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि मानव व्यापार विरोधी अभियोजन अनुश्रवण समिति के जिला स्तर पर संचालन हेतु बैंक में संधारित खाते में विभाग से प्राप्त होने वाली राशि से आवश्यकतानुसार पीड़ित के पुनर्वास पर व्यय किया जाय। पीड़ित व्यक्तियों को आर्थिक सहायता हेतु राशि "अस्तित्वा" में उपलब्ध है। जिला प्रोग्राम पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि 15 दिनों के अन्दर पीड़िता को राशि भुगतान की कार्रवाई की जाय। मानव व्यापार विरोधी से संबंधित प्रचार–प्रसार हेतु समाज कल्याण विभाग से आवंटन की माँग हेतु निर्देश दिया गया।

अनुपालन–जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, पटना

2. यह निर्णय लिया गया कि मानव व्यापार की रोकथाम हेतु जिला के सभी थानो में मानव व्यापार संबंधी होर्डिंग लगायी जाय जिसपर मानव व्यापार विरोधी संबंधित विषय वस्तु अंकित किया जाय। इस कार्य में ज़िला जनसम्पर्क पदाधिकारी का सहयोग लिया जाय। थाना के सूचना पट्ट पर मानव विरोधी संबंधी आवश्यक निर्देश अंकित किया जाय। मानव व्यापार विरोधी से सम्बन्धित कार्य के निष्पादन हेतु थाना में कार्यरत अधिकारियों में से एक पुलिस पदाधिकारी को नोडल पदाधिकारी के रूप में नामित किया जाय तथा ट्रैफिकिंग का डाटाबेस थाना में संधारित किया जाय। थाने में कार्यरत पुलिस पदाधिकारी यदि मानव व्यापार से संबंधित मामले में किसी स्थान पर यदि छापामारी करने जाते है तो महिलाओं से संबंधित गैर सरकारी संस्थाओं यथा महिला हेल्पलाईन/मान्यता प्राप्त संस्था से मदद प्राप्त किया जा सकता है। तदनुसार मानव व्यापार संबंधी मामले में नियमानुसार विधि सम्मत कार्यवाई करेंगे तथा संबंधित पुलिस उपाधीक्षक के माध्यम से मासिक प्रतिवेदन जिला स्तरीय कार्यालय में उपलब्ध करायेंगे।

अनुपालन – सभी थानाध्यक्ष/ पुलिस उपाधीक्षक/ अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी/ महिला हेल्पलाईन, पटना सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा पटना।

246
30-09-013

Amit
30-09-013
04:25 pm

3. बैठक में उपस्थित गैर सरकारी संस्था के सदस्य श्री वाई0 के0 गौतम द्वारा बताया गया कि केन्द्र स्तर पर मानव व्यापार विरोधी अभियान में ''उजाला'' संस्था द्वारा कार्य किया जा रहा है। उनके द्वारा अनुरोध किया गया कि उक्त संस्था की शाखा पटना में भी खोली जाय ताकि उक्त संस्था मानव व्यापार विरोधी के संबंध में सुचारू रूप से कार्य कर सके। उजाला की शाखा बिहार में खोलने हेतु सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा, पटना को निर्देश दिया गया।

अनुपालन – सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा, पटना।

4. बैठक में उपस्थित गैर सरकारी संस्था के सदस्य श्री वाई0 के0 गौतम द्वारा बताया गया कि पटना में चल रहे व्यूटी पार्लरो में कार्य करने वाले महिला/पुरूष कर्मियों का आवासीय पता फोटो सहित व्यक्तिगत प्रोफाइल तैयार कर संबंधित थाने को उपलब्ध कराया जाय।

अनुपालन – सभी थानाध्यक्ष/पुलिस उपाधीक्षक/अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, पटना।

5. बैठक में उपस्थित कुछ सदस्यों द्वारा बताया गया कि मानव व्यापार विरोधी संबंधी बैठक नियमित रूप से नहीं होने के कारण संबंधित मामलो का अनुपालन ठीक ढंग से नहीं हो पा रहा है। मानव व्यापार विरोधी अनुश्रवण समिति के बैठक प्रत्येक माह में आहूत की जाय।

अनुपालन – सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा, पटना।

6. यह निर्णय लिया गया कि मानव व्यापार विरोधी अभियोजन के क्रम में विमुक्त कराये गये बच्चों का नाम एवं पता स्पष्ट नहीं रहने की स्थिति में पुनर्वास हेतु सी0डब्लु0सी के समक्ष प्रस्तुत किया जाय एवं कॉउन्सिलिंग कर होम में रखा जाय। वैसे बच्चे को विद्यालय में नामांकन कराने में विद्यालय के प्रधानाध्यापक के द्वारा ध्यान नहीं दिया जाता है। ऐसी परिस्थिति में मानव व्यापार विरोधी अभियोजन के क्रम में विमुक्त कराये गये बच्चों के पुनर्वास के साथ–साथ बच्चों का विद्यालय में नामांकन कराना सुनिश्चित कराया जाय। मानव व्यापार की रोकथाम हेतु शैक्षणिक संस्थानां, गैर सरकारी संस्थानों के सहयोग से नियमित रुप से सामाजिक जागरुगता कार्यक्रम आयोजित किया जाय।

अनुपालन – जिला शिक्षा पदाधिकारी, पटना,/ सहायक निदेशक, जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग, पटना/सभी थानाध्यक्ष, पटना जिला।.

7. स्रोत क्षेत्र, माँग क्षेत्र एवं पारगमन यथा बस स्टैण्ड, रेलवे स्टेशन और सीमा पार वाले क्षेत्रो में परामर्श केन्द्र की स्थापना तथा उसमें सुयोग्य पुलिस की व्यवस्था की जाय।

अनुपालन – वरीय पुलिस अधीक्षक/सभी थानाध्यक्ष, पटना जिला।

8. मानव व्यापार विरोधी अभियोजन में पकड़े गये बच्चों का नामांकन केन्द्र द्वारा संचालित राष्ट्रीय बाल श्रमिक विद्यालय में कराया जाय, ताकि बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में सर्वांगीण विकास हो सके।

अनुपालन – सहायक निदेशक,
सामाजिक सुरक्षा, पटना।

9. सर्वसम्मति से निर्णल लिया गया कि मानव व्यापार विरोधी जानकारी एन0आइ0सी0 के ज़िला वेबसाईट पर उपलब्ध करायी जाय।

अनुपालन – प्रभारी पदाधिकरी,
ज़िला सूचना केन्द्र, पटना।

अन्त में सधन्यवाद बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

7/9/13
उप विकास आयुक्त,
पटना।

ज्ञापांक 2182 / दिनांक 09-09-13 ।

प्रतिलिपि :– सभी सदस्यों को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– सभी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, पटना जिला को सूचनार्थ प्रेषित । अनुरोध है कि अपने क्षेत्र के सभी थानाध्यक्ष को आवश्यक कार्रवाई हेतु निर्देशित करेंगे।

प्रतिलिपि :– जिला जनसम्पर्क पदाधिकारी, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– प्रभारी पदाधिकारी, ज़िला सूचना केन्द्र, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– जिला अभियोजन पदाधिकारी, सदर कोर्ट, पटना को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– वरीय उप समाहर्त्ता, विधि शाखा, पटना को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

7/9/13
उप विकास आयुक्त,
पटना।

ज्ञापांक 2182 / दिनांक 09-09-13 ।

प्रतिलिपि :– निदेशक, समाज कल्याण निदेशालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

7/9/13
उप विकास आयुक्त,
पटना।